

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)
वाद सं०-195/2020

पुरन प्रकाश

-बनाम्-

जीतन यादव वगैरह

आदेश

3.11.2020

प्रमारी, परसन ओ०पी० के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर वाद की सुनवाई की गयी।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच भूमि के हिस्सेदारी, बँटवारा एवं वास्तविक दखल को लेकर विवाद है, जिसका निदान इस कार्यवाही के तहत न होकर सक्षम दीवानी न्यायालय के अधिकारिता में है तदनुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)
3/11/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)
3/11/2020